राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / ३५ /2020 दिनांक :07.02.2020

श्रीमती नम्रता पारीक (RJ0735), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 10.02.2020 से 29.02.2020 तक 20 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 09.02.2020 एवं 01.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह सोलंकी (RJ0694), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, चित्तौड़गढ़ को श्रीमती नम्रता पारीक के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01, चित्तौड़गढ़ के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा **पदस्थापित / नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह सोलंकी (RJ0694)**, जिनको अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 02, चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

07.2.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/18/2013/ 913 दिनांक 07.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 627 दिनांक 27.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती नम्रता पारीक (RJ0735)**, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01, चित्तौड़गढ़ ।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01, चित्तौड़गढ़ ।
5. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह सोलंकी (RJ0694)**,अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 02, चित्तौड़गढ़!
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 02, चित्तौड़गढ़।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

7.2.2020

सहायक रजिस्ट्रार